न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

निसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
88 / अपील / 15	07.09.2015	31.08.2021

1. श्री कालू आ0 जगन्नाथ जाति कलाल निवासी गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. श्री किशोर आ0 जगन्नाथ जाति कलाल निवासी गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. श्री दुर्गा लाल आ0 कालू जाति कलाल निवासी गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
4. श्री प्रभु आ0 किशोर जाति कलाल निवासी गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
5. श्री जगदीश आ0 किशोर जाति कलाल निवासी गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री श्योजी लाल आ0 भोजा जाति धोबी निवासी गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी हाल निवास सीलोर कुम्हारों का मोहल्ला तहसील एवं जिला बून्दी।
2. तहसीलदार साहब नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से – श्री राकेश ठाकोर एड0
रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से – श्री रामगोपाल गुर्जर एड0
रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैंनवा द्वारा प्रकरण संख्या 2 / प्रा0पत्र / 2014 निर्णय दिनांक 18.08.2015 से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में पेश की गई हैं। अपीलाधीन निर्णय से तहसीलदार नैंनवा द्वारा भूमि खसरा संख्या 422 रकबा 7 बीस्वा, 787 रकबा 7 बीघा 10 बीस्वा कुल रकबा 7 बीघा 17 बीस्वा वाके ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा से अपीलांट को बेदखल करने तथा 300 रूपये शास्ती से दण्डित किया गया हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2015 कानून एवं वस्तु स्थिति के विपरीत हैं। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि को कई वर्षों पूर्व रेस्पोडेन्ड से खरीद लिया था। विवादित भूमि को अपीलांट ने अनुपजाऊ भूमि से उपजाऊ भूमि बनाने में काफी धन खर्च किया हैं व श्रम किया हैं। विवादित भूमि पर

कुआ खुदवाया गया हैं, पेड़ लगवाये गये हैं तथा निवास हेतु एक छोटे मकान हुआ हैं। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 ने जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया हैं व झूठा एवं मनगढ़त पेश किया हैं। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 ग्राम गुढासदावर्तिया में 35–40 वर्ष से निवास नहीं रहा हैं यह अन्य ग्राम सीलोर तहसील एवं जिला बून्दी में निवास करता हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ड रेस्पोडेन्ड संख्या 1 ने दोराने बहस व्यक्त किया कि ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा में विस्थित विवादित भूमि का एकमात्र खातेदार रेस्पोडेन्ड संख्या 1 हैं। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ड संख्या 1 काबिज होकर लगातार कृषि कार्य करते हुये फसल बुवाई, कटाई करता चला आ रहा था। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 ग्राम गुढासदावर्तिया से अन्य ग्राम में खाने कमाने चला गया था। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 की खातेदारी भूमि फड़त पड़ी हुयी थी उस पर अपीलांट द्वारा बलपूर्वक, जबरन कब्जा कर लिया। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 गरीब धोबी जाति का व्यक्ति हैं जो अनुसूचित जाति का सदस्य हैं। अपीलांट स्वर्ण जाति के सदस्य जिनको रेस्पोडेन्ड संख्या 1 की भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2015 यथावत रखा जावें।

रेस्पोडेन्ड संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं नियमाकुल हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन विवादित आदेश दिनांक 18.08.2015 से अपीलांट को भूमि खसरा संख्या 422 रकबा 7 बीस्वा, 787 रकबा 7 बीघा 10 बीस्वा कुल रकबा 7 बीघा 17 बीस्वा वाके ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा से अपीलांट को बेदखल करने तथा 300 रूपये शास्ती से दण्डित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि को विक्रय किये जाने का तर्क अपनी बहस में दिया हैं। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें विक्रय पत्र की छायाप्रति उपलब्ध हैं। यह विक्रय पत्र एक 20 रूपये संलग्न 25 पैसे के स्टाम्प पर उद्धरित किया गया हैं जो अपंजीकृत दस्तावेज की श्रेणी में आता हैं तथा पक्षकार (अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ड) स्वर्ण जाति एवं अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस प्रकार यह दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध हैं तथा रेस्पोडेन्ड संख्या 1 की भूमि पर अपीलांटस के कोई अधिकार कानूनी रूप से प्रोदभूत नहीं होते हैं। अतः उक्त विवेचानुसार तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2015 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर, बूंदी

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)